क्रम-संख्या–49 (ग–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 18 मार्च, 2023

फाल्गुन 27, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2

———

अधिसूचना संख्या 1733

लखनऊ, 18 मार्च, 2023

———

अधिसूचना

प०आ०–343

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (रैपिड रेल) परियोजना हेतु जिला मेरठ, तहसील सदर, परगना / मेरठ के ग्राम अमीनगर उर्फ भूडबराल में क्षेत्रफल 2.0395 हे0, बराल परतापुर में क्षेत्रफल 1.1484 हे0, मोहकमपुर में क्षेत्रफल 0.7022 हे0, मेरठ खास में क्षेत्रफल 0.4224 हे0, हाफिजाबाद मेवला में क्षेत्रफल 1.2960 हे0, एवं तहसील सरधना के क्षेत्र / ग्राम मुकर्रबपुर पल्हेडा में 0.870736 हे0, रोशनपुर डोरली में क्षेत्रफल 0.41441 हे0 व दुल्हैडा चौहान में 0.1710 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 882 दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दो समाचार पत्रों अमर उजाला (हिन्दी अंक) व हिन्दुस्तान टाईम्स (अंग्रेजी अंक) में दिनांक 17 नवम्बर, 2022 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2022 .को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर / असिस्टेंट कलेक्टर, मेरठ को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देती हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला मेरठ, तहसील सदर, परगना, ग्राम, की शून्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देती हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर मेरठ को निर्देशित करती हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
मेरठ	सदर		अमीननगर उर्फ भूडबराल	163	0.3600
				164	0.3170
				466	1.2740
				468	0.0885
			बराल परतापुर	334	0.0380
				335	0.0350
				336	0.1121
				337	0.1275
				338	0.0909
				861	0.0756
				863	0.0312
				866	0.0284
				750	0.0863
				751	0.2133
				755	0.0213
				760	0.1581
				770	0.1307
			मोहकमपुर	488	0.0831
				489	0.0264
				490	0.0995
				491	0.0006
				493	0.3438
				494	0.1488
			मेरठ खास	2038	0.1585
				1237	0.1170
				1228	0.1469
			हाफिजाबाद मेवला	71	0.1296
	सरधना		मुकर्रबपुर पल्हेडा	54	0.0850
				89	0.6005
				461	0.0079069
				464	0.004551
				465	0.001824
				466	0.001824
			रोशनपुर डोरली	133	0.0220
				134	0.0205
				135	0.1608
				136	0.0062
				664	0.0494
				665	0.0527
				666	0.0535
				668	0.00971
				663/2	0.0396
			दुल्हैडा चौहान	822	0.0793
				823	0.0917

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

————————

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस परियोजना हेतु जिला मेरठ तहसील सदर के गांव अमींनगर उर्फ भूडबराल की 2.0395 हे0, बराल परतापुर की 1.1484 हे0, मोहकमपुर की 0.7022 हे0, मेरठ खास की 0.4224 हे0, हफीजाबाद मेवला की 1.2960 हे0 कुल 5.6085 हे0 तथा तहसील सरधना के गांव रोशनपुर डोरली की 0.4144 हे0, मुकर्रबपुर पल्हेडा की 0.8707 हे0, दुल्हेडा चौहान की 0.1710 हे0 कुल 1.4561 हे0 में स्थित भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना संख्या 882/आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0)/सं0सं0/मेरठ दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् हैः–

दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण उपरान्त क्षेत्र के आर्थिक प्रगति के साथ क्षेत्रीय निवासियों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय राजधानी एवं अन्य प्रयुक्त बाहरी बिन्दुओं के बीच सड़कों पर वाहनों की कमी के कारण सम्पूर्ण वातावरण में प्रदूषण की व्यापक कमी होगी।

उक्त परियोजना हेतु तहसील सदर के गांव अमींनगर उर्फ भूडबराल की 2.0395 हे0, बराल परतापुर की 1.1484 हे0, मोहकमपुर की 0.7022 हे0, मेरठ खास की 0.4224 हे0, हाफिजाबाद मेवला की 1.2960 हे0 कुल 5.6085 हे0 तथा तहसील सरधना के गांव रोशनपुर डोरली की 0.4144 हे0, मुकर्रबपुर पल्हेडा की 0.8707 हे0, दुल्हेडा चौहान की 0.1710 हे0 कुल 1.4561 हे0 जनपद मेरठ में भूमि के अधिग्रहण के कारण लगभग 123 परिवारों के प्रभावित होने की सम्भावना है जिनमें से 30 कुटुम्बों का आवासीय या व्यवसायिक विस्थापन होने की सम्भावना है। परियोजना के प्रभावित कुटुम्बों के सम्बन्ध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की गई है जिसका सारांश निम्न प्रकार हैः–

- भूमि एंव उस पर स्थित संरचनाओं हेतु प्रतिफल की गणना भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की सुसंगत धाराओं एवं अनुसूची–1 के क्रम में की जायेगी।
- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों की गणना अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 में अनुसार की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पांच लाख रूपये की एक मुश्त धनराशि वार्षिकी या नियोजन के विकल्प के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पचास हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि पुनर्वास भत्ते के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक विस्थापित कुटुम्ब को परिवहन लागत आदि के लिये पचास हजार रूपये की स्थानान्तरण सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
- भूमि अर्जन के कारण दुकान (व्यवसाय) खोने वाले सभी प्रभावित कुटुम्ब को दुकान के पुनर्निर्माण हेतु रूपया पच्चीस हजार सहायता राशि दी जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 12 माह की अवधि तक तीन हजार रूपये प्रतिमाह की दर से जीवन निर्वाह अनुदान प्रदान किया जायेगा।

1–उपरोक्त पुनर्वासन एंव पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का क्रियान्वयन 18 माह की अवधि में करा लिया जायेगा।

2–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

समुचित सरकार/जिलाधिकारी,
मेरठ।

————

Notification no. 1733

Dated Lucknow, March 18, 2023

WHEREAS preliminary notification no. 882 dated October 3, 2022 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of village Aminagar *urf* Bhudbaral area 2.0395, Baral Partapur area 1.1484 Hect., Mohkampur area 0.7022 Hect., Meerut Khas area 0.4224 Hect., Hafijabad Mewla area 1.2960 Hect. Pargana Sarawa/Meerut Tehsil Sadar District Meerut and village Mukarrabpur Palheda area 0.870736 Hect., Roshanpur Daurli area 0.41441 Hect., Dulhera Chauhan area 0.1710 Hect. Pargana Tehsil Shardhana District Meerut is required for public purpose, namely, project "implementation of Delhi- Gzb-Meerut RRTS Corridor" through National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) and lastly published in 2 local news paper Amar Ujala (in Hindi) and Hindustan Times (in English) dated November 17, 2022 and November 19, 2022. The Deputy Collector/Assistant Collector Meerut was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of-……..Nill……hectares in village-……..Nill…… Pargana-……..Nill……District-……..Nill……as given in schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector of Meerut to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith [no family is displaced in land acquisition for project "implementation of Delhi- Gzb- Meerut RRTS Corridor" through National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) Way hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement Scheme].

SCHEDULE-A

(Land under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area To Be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Meerut	Sadar		Aminagar *urf* Bhudbaral	163	0.3600
				164	0.3170
				466	1.2740
				468	0.0885
			Baral Partapur	334	0.0380
				335	0.0350
				336	0.1121
				337	0.1275
				338	0.0909
				861	0.0756
				863	0.0312

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area To Be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Meerut	Sadar		Baral Partapur	866	0.0284
				750	0.0863
				751	0.2133
				755	0.0213
				760	0.1581
				770	0.1307
			Mohkampur	488	0.0831
				489	0.0264
				490	0.0995
				491	0.0006
				493	0.3438
				494	0.1488
			Meerut Khas	2038	0.1585
				1237	0.1170
				1228	0.1469
			Hafijabad Mewla	71	0.1296
		Shardhana	Mukarrabpur Palheda	54	0.0850
				89	0.6005
				461	0.0079069
				464	0.004551
				465	0.001824
				466	0.001824
			Roshanpur Daurli	133	0.0220
				134	0.0205
				135	0.1608
				136	0.0062
				664	0.0494
				665	0.0527
				666	0.0535
				668	0.00971
				663/2	0.0396
			Dulhera Chauhan	822	0.0793
				823	0.0917

———

SCHEDULE-B

(Land Identified as Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilitation (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the Act]

By the order of declaration made under Government notification no. 882 dated October 3, 2022 for village Aminagar *urf* Bhudbaral area 2.0395 Hect., Baral Partapur area 1.1484 Hect., Mohkampur area 0.7022 Hect., Meerut Khas area 0.4224 Hect., Hafijabad Mewla area 1.2960 Hect. Pargana Meerut Tehsil Sadar District Meerut and village Mukarrabpur Palheda area 0.8707 Hect., Roshanpur Daurli area 0.4144 Hect., Dulhera Chauhan area 0.1710 Hect. Pargana Daurala and Tehsil Shardhana District Meerut is required for public purpose, namely, project "implementation of Delhi-Gzb-Meerut RRTS Corridor" through National Capital Region Transport Corporation (NCRTC). I hereby published the declaration made therein and summary Rehabilitation and Resettlement Scheme along with Government notification, a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below:–

Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor would bring economic growth in the region and employment opportunities to the inhabitants would enhance. Also the traffic congestion between the National Capital and nodal cities would reduce to improve the overall environment of the area.

For the said project, 5.8982 hectares land is proposed to be acquired in village Aminagar Bhudbaral, Baral Partapur, Mohkampur, Meerut Khas, Hafizabad Mewla of Tehsil Sadar and Village Dulhera Chauhan, Roshanpur Daurli, Mukarrabpur Palheda of Tehsil Sardhana, District Meerut in which around 123 families are expected to be affected because of the acquisition and out of that likely 30 families are in residential/Commercial displacement category. For the project affected families, R&R draft scheme has been prepared . The salient features of the resettlement and rehabilitation scheme are as follows:

- The Compensation for the land and assets attached with it would be evaluated and distributed as per schedule-1 and other provisions laid down under RFCTLARR Act 2013.
- The Rehabilitation and Resettlement assistance would be paid as per the provisions of Schedule-2 of the RFCTLARR Act 2013.
- One time payment of Rs.5,00,000/- in lieu of Job/annuity to each affected family.
- One time resettlement allowance of Rs.50,000/- to each family.
- One time allowance @ Rs.25000/- per family for reconstruction of shop, who lost their shop due to acquisition.
- One time transportation allowance @ Rs. 50,000/- per displaced family.
- Subsistance grant of Rs. 3000/- per month for a period of 12 months to all displaced families.

1. The implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme will be completed within 18 months.

2. The plan of the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land acquisition.

By order,
Appropriate Government/District Collector,
Meerut.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 255 राजपत्र–2023–(750)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 6 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन–2023–(751)–150 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।